(8)

निगरानी प्रकरण क्र.   /2017

प्रस्तुति दिनांक :

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (म.प्र.) इंदौर कैम्प

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/0307

श्री एस.के. वाधवानी अभि. द्वारा 19-12-17 को प्रस्तुत किया। 19-12

श्रीमती बिसमिलाबाई बेवा अकबर,
उम्र 85 वर्ष, धंधा गृहकार्य,
निवासी ग्राम तोनवाय, तहसील
महू, जिला इंदौर (म.प्र.) ---प्रार्थी

विरुद्ध

1- रामलाल पिता लखनलाल,
उम्र वयस्क, धंधा नौकरी,
निवासी 32, आनंद नगर, इंदौर

2- श्रीमती दरयावबाई पति अर्जुनलाल,
उम्र वयस्क, धंधा गृहकार्य,
निवासी-सदर

3- श्यामलाल पिता लखनलाल,
उम्र वयस्क, धंधा-
निवासी सदर

4- श्रीमती जमनाबाई पति गणेश,
उम्र वयस्क, धंधा-गृहकार्य,
निवासी-सदर

5- मदन पिता छोटू,
उम्र वयस्क, धंधा नौकरी,
निवासी-सदर

6- बब्बू पिता लाला,
उम्र वयस्क, धंधा खेती,
निवासी ग्राम तोनवाय, तहसील
महू, जिला इंदौर (म.प्र.) ---प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

विरुद्ध आदेश दिनांक 28/8/2017 पारित अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, प्रकरण क्रमांक 503/अपील/2016-17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/18/0307

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर 50 वर्ष से अधिक समय की राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने की मॉग की गई है । इतने अधिक समय तक आवेदक द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत इंद्राज दुरूस्ती की समयावधि एक वर्ष नियत होने से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	